न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लुणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 103/2022

प्रार्थीनी	बनाम	अप्रार्थीगण
01श्रीमती सुमिता पुत्री श्री पोकरराम पत्नी श्री ओपाराम उम्र 52 वर्ष जाति विश्नोई निवासी गुडा विश्नोइ तहसील लूणी जिला जोधपुर राजस्थान		01.पोकरराम पुत्र श्री सुरजाराम 02.हरीराम पुत्र श्री पोकरराम 03.स्वरूप राम पुत्र पोकरराम 04.पप्पाराम पुत्र श्री पोकरराम 05.काली देवी पुत्र श्री पोकरराम 06.भूरकी पुत्री श्री पोकरराम 07.उरमा पुत्री श्री पोकरराम सभी जातियान विश्नोई निवासीगण खेजडली कला तहसील लूणी जिला जोधपुर 08.नितिन पुत्र नैनूराम जाति विश्नोई निवासी 8ए ईस्ट पटेल नगर रातानाडा जोधपुर 09.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित अधिवक्ता।

01.प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता घेवरराम विश्नोई उपस्थित।

02.अप्रार्थीगण संख्या 08 की ओर से अधिवक्ता किसनाराम विश्नोई उपस्थित।

निर्णय दिनांक 18/9/2023

प्रार्थना–पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेजडली कला तहसील लूणी जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 38 रकबा 4.8724 हैक्टर बिस्म बारानी प्रथम व खसरा संख्या 38/3 रकबा 0. 4128 हैक्टर व खसरा संख्या 38/1 रकबा 1.7806 हैक्टर भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के काब्जा काश्त की आई हुई ह। तथा अप्रार्थी संख्या 8 खसरा संख्या 38/3 का खरीददार है जिसका कब्जा व काश्त भूमि पर नही है। जिसे वाद मे आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के पूर्वेजो की काब्जा काश्त व खातेदारी की थी जिनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के कब्जा काश्त की है जो उनके पूर्वेजो का पूर्व मे कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि थी। जो बलगातार आज दिन तक प्रार्थीया एव अप्रार्थीगण तक का कब्जा काश्त निर्विरोध चला आ रहा है उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व मे प्रार्थीया के दादा व अप्रार्थीगण संख्या 1 के पिता एव अप्रार्थीगण संख्या 2 से 7 के दादा स्व श्री सुरजाराम की खातेदारी की थी। बाद मे उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व मे सुरजाराम की थी जिनका स्वर्गवास होने पर उनके पुत्र पोकरराम के नाम खातेदारी मे दर्ज हो गई तथा प्रार्थीया व शेष वारिसान का नाम खातेदारी मे दर्ज नही हो पाया। प्रार्थीया स्व श्री सुरजाराम की पौत्री होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान होने से वादग्रस्त भूमि मे 1/8 हिस्सा व हक बनता है लेकिन वादग्रस्त भूमि मे भू–राजस्व कर्मचारियो की गलती से प्रार्थया का नाम अमल दरामद नही हो पाया। उक्त वादग्रस्त भूमि से खातेदारी घोषणा का वाद खातेदारी दर्ज करने हेतु पेश किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि मे राजस्व कर्मचारियो से मिली भगत कर अपना नाम अमल दरामद करवा दिया तथा स्व श्री सुरजाराम के सभी वारिसान का नाम वादग्रस्त भूमि मे अमल दरामद नही हो पाया तथा अप्रार्थी संख्या 1 राजस्व रेकर्ड की आड मे उक्त वादग्रस्त भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 8 कर दिया है तथा शेष भूमि भी बेचान करने पर उतारू है इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया उक्त वाद मे अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा वादग्रस्त भूमि खरीद की जाकर भू–राजस्व अधिकारीयो से मिलकर वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकॉर्ड मे तरमीम करवाकर अलग खाता खसरा संख्या अंकित करवाया लिया जिसमे शेष खातेदारान की सहमती नही ली गई इसलिए खसरा संख्या 38 मे से अलग बटानम्बर 38/3 अंकित कर तरमीम की गई है उक्त तरमीम को निरस्त किया जाना आवश्यक है इसलिए तरमीम निरस्ती हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, लूणी

प्राथीर्नी के खेती कार्यो में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करें एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 व 08 को आदेश दिये जावें कि वे मौके पर शांति व्यवस्था कायम करावें एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 08 को प्रार्थी के उक्त तीनो खसरों में प्रवेश नहीं करने हेतु एवं खेती कार्यो में रूकावट पैदा नहीं करने हेतु पाबंद किया जावें ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 8 की तरफ से अधिवक्ता किसनाराम विश्नोई ने अपना वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 8 की तरफ से जवाब भी पेश किया । अप्रार्थी संख्या 8 ने अपने जवाब में प्रार्थीनी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के सम्पूर्ण तथ्यों का खण्डन किया गया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

अप्राथीगण अधिवक्त द्वारा अपने जबाव के तथ्यो को दोहरते हुवे बहस मे बताया गया कि ग्राम खेजडली कला तहसील लूणी के खसरा संख्या 38 रकबा 4.8724 हैक्टर खसरा संख्या 38/3 रकबा 0.4128 हैक्टर वादीननी के नल तो खातेदार की भूमि है ओर ना ही कब्जा काश्त की भूमि है प्रतिवादी संख्या 01 जो वादीनी का पिता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 से 7 वादीनी के भाई है प्रतिवादीनी कि पिता कि द्वारा पूर्व प्रतिवादी संख्या 7 है नितिन जाणी को खसरा नम्बर 38/3 मे से 2 बीधा 11 बिस्वा भूमि का बेचान दिनांक 12.04.2013 को जरिये रजिस्ट्री किया गया फलस्वरूप प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष मे म्यूटेशन संख्या 912 दिनांक 15.14.2013 को भरकर स्वीकार किया गया तथा वक्त बेचाण मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया आज राजस्व रेकॉर्ड मे नितिन जाणी का नाम दिनांक 15.04.2013 से लगातार चला आ रहा है तथा मौके पर रजिस्ट्री मे दिये गये कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा नक्शे मे तरमीम कर दिया गया था। प्रार्थीनी ने सारे तथ्य गलत व झूठे उल्लेखित किए है इस कारण से प्रार्थीनी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थीनी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि ग्राम खेजडली कला तहसील लूणी के खसरा संख्या 38 रकबा 4.8724 हैक्टर खसरा संख्या 38/3 रकबा 0.4128 हैक्टर खसरा संख्या 38/1 रकबा 1.7806 हैक्टर वाके ग्राम खेजडली कला तहसील लूणी मे आई हुई है प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा उक्त वादग्रस्त कब्जा काश्त भूमि मे अप्रार्थीगण सख्यां 1 से 8 को मूल वाद तक पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक दखल अन्दाजी ना स्वंय करे तथा ना ही अन्य किसी से करावे एव राजस्व रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाय रखे जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह जाहिर है कि उक्त वाद ग्रस्त मे प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण के बीच मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नही हुआ है इस कारण प्रत्येक इंच इचं भूमि पर सभी सहखातेदारो का हक व हिस्सा बनता हैं। ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्ट्रया मामला एव सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष मे बनना पाया जाता है तथा यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने मे सफल हो जाते है तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होने की प्रबल संभावना है ऐसी स्थिति मे न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 13.12.2022 को प्रार्थीनी के हक मे अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी थी जो सही है जिसको वाद के अंतिम निरस्तारण तक जारी की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतःप्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम खेजडली कला तहसील लूणी के खसरा संख्या 38 रकबा 4.8724 हैक्टर खसरा संख्या 38/3 रकबा 0.4128 हैक्टर खसरा संख्या 38/1 रकबा 1.7806 हैक्टर मे मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे तथा किसी विशेष भू–भाग का बेचान हस्तान्तरण नही करे एव न ही उक्त तीनो खसरान की कृषि भूमियो को खुर्द–बूर्द इत्यादि नही करे आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)